सौर पीवी ग्रिड से संयोजित निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु दिशानिर्देश

सौर पावर उत्पादन परियोजनाओं की जोखिम धारणा को ध्यान में रखते हुए, पीएफसी निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता शर्तों को पूरा करने की प्रत्याशा में सौर पीवी ग्रिड से संयोजित निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं को वित्त सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है :-

1) 1 (एक) मेगावाट न्यूनतम आकार की सौर पीवी ग्रिड से संयोजित सभी निजी क्षेत्र पावर उत्पादन परियोजनाओं को मूल्यांकन/वित्तपोषण करने के लिए विचार किया जाएगा।

2) इस नीति के तहत परियोजना का वित्तपोषण, विगत एक वर्ष में नकद लाभ वाली वाली कंपनियों, जिसके वार्षिक लेखे (लेखापरीक्षित/अनंतिम) उपलब्ध हो या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम), उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) आदि जैसी केन्द्रीय योजना में कवर हो, के साथ हस्ताक्षर किए गए पीपीए की सीमा तक सीमित होगा।

3) परियोजना का ऋण इक्विटी (डी/ई) अनुपात 70:30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (अर्थात् इक्विटी, परियोजना लागत के 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी)।

4) उधारकर्ता द्वारा संपूर्ण इक्विटी भाग लाया जाएगा।

5) संपूर्ण उत्पादन का पावर क्रय करार (पीपीए), संपूर्ण ऋण अवधि हेतु करना होगा, जो कि पीएफसी ऋण भुगतान की अवधि से कम नही होगा ।

6) ऋण की श्रेणी के अनुरूप, जमानत प्रतिभूति एवं उसे मुक्त करने से संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार आईआर-5 रेटिंग के साथ (जहां पीएफसी एवं श्रेणी एफ1 है) निजी क्षेत्र उत्पादन परियोजनाओं के लिए जमानत प्रतिभूति की आवश्यकता होगी।

   विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआर-5 के साथ निजी क्षेत्र उधारकर्ता को न्यूनतम 3 तिमाहियों की डीएसआरए उपलब्ध करानी होगी। सौर पावर परियोजनाओं के उधारकर्ताओं को परियोजना की सीओडी से पूर्व पूर्व अवधि के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन खाते में न्यूनतम 2 तिमाहियों हेतु डीएसआरए अनुरक्षित करना होगा (2 तिमाहियों के संदर्भ में मूल धनराशि सहित अनंतिम मांग)। इस प्रकार के डीएसआरए को परियोजना लागत नहीं माना जाएगा तथा इसे संवितरण की अंतिम किश्त जारी करने से पूर्व लाया जाएगा, जो कि स्वीकृत ऋण राशि के 5 प्रतिशत से कम नही होगा।

इसके अतिरिक्त उधारकर्ता/प्रमोटर कंपनी के दो व्यक्तिगत प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी या सूचीबद्ध कंपनी के न्यूनतम दो प्रमोटर निदेशकों या कॉर्पोरेट गारंटी या प्रमोटर कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी की आवश्यकता होगी ।

आगे, परियोजना का एक वर्ष सफलतापूर्वक प्रचालन हो जाने के उपरांत, प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी को मुक्त कर दिया जाएगा ।

7) पीएफसी की संतुष्टि के आधार पर संपूर्ण ऋण अवधि के लिए ईपीसी अनुबंध/आपूर्तिकर्ता पैनल के तहत गारंटी/वारंटी उपलब्ध होनी चाहिए ।

8) यदि सौर पीवी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अलावा किसी अन्य नीति के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है, जिसमें ऐसी योजनाओं के पीपीए को समाप्त करने का प्रावधान है तो, पीएफसी कुछ अतिरिक्त प्रतिभूति जैसे प्रमोटरों की विद्यमान परिसंपत्तियों पर द्वितीय प्रभार या कुछ अन्य आय स्रोत या परियोजना मूल्यांकन आधार पर स्वीकार्य अन्य कोई प्रतिभूति प्राप्त करेगा ।

9) परियोजनाओं का एकीकृत रेटिंग तंत्र अर्थात् कंपनी रेटिंग, परियोजना रेटिंग एवं एकीकृत रेटिंग में से दो मानकों के संयोजन के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा ।

****